

प्रवेश प्रक्रिया

महाविद्यालय में प्रवेश राज्य सरकार व निदेशालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान द्वारा जारी प्रवेश नीति के अनुसार लिया जा सकता है। सत्र 2014-15 से महाविद्यालय के नियमित पाठ्यक्रमों में एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया लागू की गई है। इसके तहत अभ्यर्थी को एक पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में एक बार ही आवेदन करना होगा। स्नातक पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी को पात्रता शर्तें पूरी होने पर द्वितीय व तृतीय वर्ष में पुनः आवेदन नहीं करना पड़ेगा तथा सत्र 2024-25 में गत सत्र से नियमित विद्यार्थी द्वारा ई-मित्र के माध्यम से आयुक्तालय द्वारा निर्धारित तिथि तक इस सत्र का शुल्क ई मित्र के माध्यम से जमा करवा दिया जाता है तो अन्य पात्रता शर्तें पूर्ति होने की स्थिति में वह प्रवेशित माना जावेगा। इस प्रकार स्नातक द्वितीय/तृतीयमें नियमित विद्यार्थियों के लिए नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत करने सम्बन्धीव्यवस्था समाप्त कर दी गई है। निम्नलिखित स्थितियों में यह व्यवस्था उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगी जो-

1. निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा नहीं करवाते।
2. पूर्व कक्षा की परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित होते हैं। ऐसे विद्यार्थी का प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
3. स्वयं लिखित में प्रवेश लेने से इन्कार कर दे या स्थानान्तरण प्रमाण पत्र ले कर चले जावें।
4. प्रवेश नीति के पंचम भाग में उल्लेखित अच्छे आचरण की शर्तें पूर्ण नहीं करते हों।
5. उपस्थिति की न्यूनता के कारण नियमित से स्वयंपाठी घोषित हुए हों।

पाठ्यक्रम

यह महाविद्यालय जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर से सम्बद्ध है जिसमें कला, वाणिज्य व विज्ञान संकाय के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों का अध्यापन उपलब्ध है।

कला संकाय

(क) बी. ए. भाग प्रथम

आधार पाठ्यक्रम: सामान्य हिन्दी व सामान्य अंग्रेजी

वैकल्पिक विषय: निम्न में से कोई तीन

- (1) अर्थशास्त्र
- (2) अंग्रेजी साहित्य
- (3) गृह विज्ञान
- (4) राजनीति विज्ञान
- (5) हिन्दी साहित्य
- (6) भूगोल

(ख) बी. ए. भाग द्वितीय

वैकल्पिक विषय: बी. ए. भाग प्रथम में चयनित वैकल्पिक विषयों का अध्ययन जारी रहेगा। इस कक्षा में उन्हीं छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा, जिनके महाविद्यालय में अध्ययन हेतु उपलब्ध 5 वैकल्पिक विषयों में से कोई तीन विषय हो तथा प्रवेश की अन्य शर्तें पूरी करती हो।

(ग) बी. ए. भाग तृतीय

वैकल्पिक विषय: बी. ए. भाग द्वितीय के वैकल्पिक विषयों का अध्ययन जारी रहेगा।

वाणिज्य संकाय

(क) बी. कॉम. भाग प्रथम

आधार पाठ्यक्रम: सामान्य हिन्दी व सामान्य अंग्रेजी

वैकल्पिक विषय:(1) विषय समूह प्रथम : लेखांकन

(2) विषय समूह द्वितीय : व्यावसायिक वित्त तथा अर्थशास्त्र

(3) विषय समूह तृतीय : व्यावसायिक प्रशासन

(ख) बी. कॉम. भाग द्वितीय

आधार पाठ्यक्रम: पर्यावरण अध्ययन

वैकल्पिक विषय: बी. कॉम. भाग प्रथम में चयनित वैकल्पिक विषयों का अध्ययन जारी रहेगा। इस कक्षा में उन्हीं छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा जो प्रवेश की शर्तें पूरी करती हो।

(ग) बी. कॉम. भाग तृतीय

वैकल्पिक विषय: बी. कॉम. भाग द्वितीय के वैकल्पिक विषयों का अध्ययन जारी रहेगा।

विज्ञान संकाय

(क) बी. एससी. भाग प्रथम

आधार पाठ्यक्रम: (अ) सामान्य हिन्दी

या

सामान्य अंग्रेजी

(ब) पर्यावरण अध्ययन

वैकल्पिक विषय: विषय समूह प्रथम (बायो) :

- (1) प्राणी शास्त्र
- (2) वनस्पति शास्त्र
- (3) रसायन शास्त्र

विषय समूह द्वितीय (गणित):

- (1) गणित
- (2) भौतिक शास्त्र
- (3) रसायन शास्त्र

(ख) बी. एससी. भाग द्वितीय

वैकल्पिक विषय: बी. एससी. भाग प्रथम में चयनित वैकल्पिक विषयों का अध्ययन जारी रहेगा। इस कक्षा में उन्हीं छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा जो प्रवेश की शर्तें पूरी करती हो।

(ग) बी. एससी. भाग तृतीय

वैकल्पिक विषय: बी. एससी. भाग द्वितीय के वैकल्पिक विषयों का अध्ययन जारी रहेगा।

संकायवार स्वीकृत वर्गों व उपलब्ध स्थानों की संख्या

कक्षा	कला		वाणिज्य		विज्ञान		
	वर्गों की संख्या	उपलब्ध कुल स्थान	वर्गों की संख्या	उपलब्ध कुल स्थान	वर्गों की संख्या	उपलब्ध कुल स्थान	गणित वर्ग
भाग प्रथम	4	400	2	200	1	63	25
भाग द्वितीय	4	400	2	200	1	63	25
भाग तृतीय	2	200	2	200	1	63	25

DR. GGC BALOTRA

महत्वपूर्ण सूचनाएँ

1. इस विवरणिका में प्रदत्त नियम एवं सूचनाएँ राज्य सरकार, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर तथा प्राचार्य के आदेशों से परिवर्तनीय है। नये नियम यथा समय महाविद्यालय के वेबपेज तथा सूचना पट्ट पर उपलब्ध करवा दिये जायेंगे।
2. सत्र 2024-25 में प्रवेश आवेदन ऑनलाइन किया जायेगा। ऑनलाइन प्रवेश आवेदन करने हेतु आवश्यक निर्देश अलग से जारी किये जा रहे हैं।
3. बी.ए. / बी.कॉम / बी.एससी. भाग प्रथम में प्रवेश की इच्छुक जिन छात्राओं को पूरक परीक्षा में सम्मिलित होना है, उनको सत्र के प्रारम्भ में ही प्रवेश की निर्धारित तिथि तक अस्थायी प्रवेश ले लेना चाहिये। उनकी उपस्थिति की गणना महाविद्यालय में अध्ययन प्रारम्भ होने की तिथि से की जायेगी। प्रवेश न लेने की स्थिति में परिणाम घोषित होने के बाद नियमित प्रवेश नहीं हो सकेगा।
4. प्रवेशआवेदन पत्र में कोई असत्य सूचना पाई गई, महाविद्यालय के नियमों का उल्लंघन किया, अपने माता पिता/संरक्षक के स्थान पर अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाये अथवा स्वयं ने हस्ताक्षर किये तो उसका यह कार्य अत्यन्त अवांछनीय होने के कारण दण्डनीय अपराध समझा जायेगा और उसका प्रवेश तुरन्त रद्द कर दिया जायेगा।
5. सेवारत प्रार्थी अपने नियोक्ता अधिकारी का अनुमति/ अनापत्ति पत्र संलग्न करें अन्यथा प्रवेश अवैध समझा जायेगा, जिसके लिये छात्रा स्वयं उत्तरदायी होगी।
6. प्राचार्य को यह अधिकार होगा कि उचित कारण होने पर किसी भी आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दें या प्रवेश निरस्त कर दें।
7. अपने मूल प्रलेख महाविद्यालय में जमा करवाने से पूर्वउनकी पर्याप्त सत्यापित प्रतिलिपियां अपने पास रख लें। प्रवेश के पश्चात मूल प्रलेख तुरन्त लौटाना संभव नहीं होगा।
8. यदि छात्रा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग / विकलांग / अन्य आरक्षित वर्ग की है तो उसकी पुष्टि में जिला कलेक्टर / प्रथम श्रेणी के दण्डनायक / तहसीलदार के प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
9. महाविद्यालय में प्रवेश लिये जाने के पश्चात यदि किसी छात्रा का आचरण आपत्तिजनक पाया गया अथवा छात्रा द्वारा महाविद्यालय का अनुशासन भंग किया गया तो उसके खिलाफ अनुशासन समिति की अनुशांसा पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

10. महाविद्यालयमें रैगिंग पूर्णतः निषेध है। यदि कोई रैगिंग करने अथवा उसके प्रचार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दोषी पाया गया अथवा रैगिंग प्रचार के षडयन्त्र में दोषी पाया गया तो उसे उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग निषेध अधिनियम 2009, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 की धारा 26 (1) (जी) के अनुसार दण्डित किया जायेगा। उत्पीड़न संबंधी शिकायत हेतु विद्यार्थियों द्वारा इसकी सूचना प्राचार्य या उप-प्राचार्य को तुरन्त प्रभाव से देने की सलाह दी जाती है। प्रतिवर्ष सभी छात्राएँ रैगिंग निषेध के संबंध में अपना शपथ-पत्र अनिवार्य रूप से निम्न दो में से किसी एक वेबसाईट पर प्रस्तुत करें।

www.amanmovement.org

www.antiragging.in

उक्त वेबसाईट पर शपथ-पत्र भरने के पश्चात् आपके ई-मेल पर दो शपथ-पत्र प्राप्त होंगे, एक पर छात्रा के तथा दूसरे पर पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर करवाकर, दोनों पत्र भरकर महाविद्यालय में जमा करवाने होंगे।

11. प्रत्येक छात्रा को नियमित रूप से महाविद्यालय का सूचना पट्ट तथा वेबसाइट देखना चाहिये।

12. प्रत्येक टर्म के अन्त में छात्रा की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होने पर उसकी सूचना महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर लगा दी जायेगी। सूचना प्राप्त न होने का दायित्व महाविद्यालय का नहीं होगा।

13. महाविद्यालय की स्वच्छता, शुद्धता एवं सुन्दरता को बनाये रखना आपका दायित्व है। दीवार पर लेखन, कागज फैलाना, चिपकाना, महाविद्यालय परिसर में तम्बाखू, तम्बाखूयुक्त पदार्थ, गुटका, पान या अन्य मादक पदार्थों का सेवन करना दीवारों पर थूकना आदि अपराध है। इन अपराधों के लिये आर्थिक एवं अन्यान्य दण्डों के अतिरिक्त महाविद्यालय से निष्कासन भी किया जा सकता है।

14. महाविद्यालय परिसर में क्रीड़ा सम्बन्धी गतिविधियां प्रातः 11.00 बजे से पूर्व तथा अपराह्न 3.00 बजे के बाद संचालित की जा सकेगी।

15. विद्यार्थी अपने वाहन निर्धारित स्थानों पर रखेंगे अन्यथा रू 100 आर्थिक दण्ड के पात्र होंगे।

16. महाविद्यालय में यौन उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ संचालित है जहां संबंधित अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

17. यह महाविद्यालय आपके व्यवहार, व्यक्तित्व एवं चरित्र का प्रतिमान व प्रतिबिम्ब है अतः इसके गौरव व गरिमा को बनाये रखने का दायित्व आपका है।

प्रांगण गतिविधियां

युवा कौशल परामर्श प्रकोष्ठ

महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं के सम्पूर्ण विकास तथा उन्हे शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा कैरियर / रोजगार संबंधी अतिरिक्त ज्ञान उपलब्ध कराने के लिये निम्न गतिविधियां एवं प्रकोष्ठ संचालित हो रहे है:

1. राष्ट्रीय सेवा योजना
2. रेंजरिंग
3. युवा विकास केन्द्र
4. महिला प्रकोष्ठ
5. मानवाधिकार क्लब
6. योजना मंच

स्नातक भाग प्रथम के आनलाईन प्रवेश आवेदन पत्र में उपरोक्त गतिविधियों में से प्राथमिकता के आधार पर चयन की सुविधा उपलब्ध है। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त युवा कौशल परामर्श प्रकोष्ठ के द्वारा सभी भाग प्रथम की छात्राओं की काउन्सलिंग की जायेगी ताकि उनकी प्राथमिकता के आधार पर गतिविधियों का आवंटन किया जा सके। भाग प्रथम की छात्राओं द्वारा किसी एक गतिविधि का चयन करना अनिवार्य है तथा अन्य गतिविधियों में वह प्रकोष्ठ की अनुमति प्राप्त करभाग ले सकती है।

राष्ट्रीय सेवा योजना

राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि विद्यार्थी शिक्षा के साथ-साथ समाज सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास कर राष्ट्रभक्त व योग्य नागरिक बने। इस में राष्ट्रीय एकता, बस्ती गोद लेने की अनिवार्यता, साक्षरता, पर्यावरण संरक्षण, महिला विकास एवं उत्थान, केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विकास कार्यक्रमों की जानकारी आदि नियमित गतिविधियों का अंग है।

इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श, वाद-विवाद, आशुभाषण, श्रमदान, रैलियां, भाषण, व्याख्यान, संगोष्ठियां, परिचर्चाएँ आदि कार्यक्रम महाविद्यालय/बस्ती में आयोजित किये जाते हैं। सत्र के दौरान नियमित गतिविधियों के अतिरिक्त तीन एक-दिवसीय व एक सात-दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जाता है।

महाविद्यालय में इस योजना की एक ईकाई स्वीकृत है जिसमें 100 छात्राओं का पंजीकरण किया जाता है।

रेंजरिंग

महाविद्यालय में छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु रेंजरिंग गतिविधियां संचालित की जाती हैं। इसमें छात्राएँ पंजीकरण करवा कर रेंजर बन सकती हैं एवं वर्ष पर्यन्त महाविद्यालय, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित गतिविधियों एवं कैम्प में भाग ले सकती हैं।

युवा विकास केन्द्र

राज्य सरकार के आदेशानुसार महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं के सर्वांगीण विकास में सहायता, विशेष रूप से कैरियर एवं रोजगार संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिये युवा विकास केन्द्र की स्थापना की गई है। इस केन्द्र के माध्यम से व्यक्तित्व विकास, कैरियर काउंसलिंग, एप्टीट्यूड टेस्ट, प्लेसमेन्ट ड्राइव, कैरियर फेयर, स्किल टेस्टिंग, आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

महिला प्रकोष्ठ

यह प्रकोष्ठ विभिन्न कार्यक्रमों व प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्राओं के सर्वांगीण विकास, महिला चेतना व हितों के लिये कार्य करता है।

मानवाधिकार क्लब

विद्यार्थियों में मानव अधिकारों के संरक्षण के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए राज्य मानव आयोग के निर्देशानुसार महाविद्यालय में एक मानव अधिकार क्लब कार्यरत है। इस क्लब के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों व प्रतियोगिताओं के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है।

योजना मंच

अध्ययनरत छात्राओं को देश के आर्थिक विकास से सम्बन्धित विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों व योजनाओं की जानकारी गतिविधियों के माध्यम से उपलब्ध करवाने का प्रयास इस मंच के माध्यम से किया जाता है।

छात्रसंघ

महाविद्यालय में राज्य सरकार व निदेशक कॉलेज शिक्षा, राजस्थान से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप छात्रसंघ का गठन निर्धारित नियमों के अन्तर्गत किया जाता है। छात्रसंघ के तत्वावधान में वर्ष पर्यन्त अनेक सांस्कृतिक, साहित्यिक व खेलकूद कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिससे छात्राओं में नेतृत्व क्षमता में अभिवृद्धि एवं नैतिक व रचनात्मक गुणों का विकास हो सके। इसके माध्यम से छात्रा हित की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है।

खेलकूद

शैक्षिक उन्नयन के साथ-साथ शारीरिक उन्नयन तथा खेलकूद में प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए महाविद्यालय में खेलकूद की सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाता है। महाविद्यालय का दल स्तरीय होने पर अन्तरमहाविद्यालयी प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु भेजा जाता है।

साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां

महाविद्यालय में समय-समय पर विभिन्न विषयों पर निबंध लेखन, काव्य पाठ, वाद-विवाद, आशुभाषण, सामान्य ज्ञान, प्रश्नमंच आदि साहित्यिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। सांस्कृतिक गतिविधियों में नृत्य एवं गायन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। महाविद्यालय के वार्षिक कार्यक्रम 'इन्द्रधनुष' में भी साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं खेलकूद प्रतियोगिताएँ आयोजित कर छात्राओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया जाता है।

पुस्तकालय

अध्ययन अध्यापन की सुविधा हेतु महाविद्यालय में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध है, इसमें विभिन्न विषयों की निर्धारित पाठ्य पुस्तकें व स्तरीय सन्दर्भ पुस्तकें उपलब्ध है।

वाणिज्य परिषद्

वाणिज्य संकाय में प्रविष्ट सभी छात्राएँ इसकी सदस्य होती है। परिषद् वाणिज्य क्षेत्र से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करती है।

छात्रवृत्ति

छात्रवृत्ति संबंधी विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्रों के लिये निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर की आधिकारिक वेबसाइट <http://dce.rajasthan.gov.in> एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.sje.rajasthan.gov.in देखें।

मुख्यमन्त्री छात्रवृत्ति योजना

वर्ष 2012 से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए मुख्यमन्त्री छात्रवृत्ति योजना प्रारम्भ की गई।

इस योजना के तहत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की उच्च माध्यमिक परीक्षा की वरियता सूची में प्रथम एक लाख ऐसे छात्र/छात्राओं को जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये तक है, तथा जिन्हे कोई अन्य छात्रवृत्ति अथवा प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है के लिए 500 रु प्रतिमाह, जो एक वर्ष में 10 माह से अधिक नहीं होगी, छात्रवृत्ति भुगतान किया जायेगा।

यह छात्रवृत्ति राजस्थान की मूल निवासी, महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्रा को देय है। छात्रवृत्ति राशि का भुगतान पांच वर्ष की अवधि अथवा उच्च / तकनीकी अध्ययन जारी रखने तक, जो भी पहले हो देय होगी। चयनित छात्रा को प्रति वर्ष इसका नवीनीकरण कराना आवश्यक है।

इस छात्रवृत्ति के नवीन व नवीनीकरण आवेदन पत्र व विस्तृत जानकारी के लिए छात्रवृत्ति समिति / महाविद्यालय कार्यालय से सम्पर्क करें।

संकाय सदस्य

प्राचार्य

रिक्त

उप-प्राचार्य

रिक्त

व्याख्याता (कला संकाय)

अर्थशास्त्र

1. श्री नदीम खान

हिन्दी साहित्य

1. श्री भरत कुमार आर्य

2. रिक्त

राजनीति विज्ञान

श्री श्रीकृष्णा

गृह विज्ञान

1. श्रीमती संगीता

2. रिक्त

अंग्रेजी

श्रीमती संतोष पटेल

भूगोल

रिक्त

व्याख्याता (वाणिज्य संकाय)

लेखांकन एवं व्यवसायिक सांख्यिकी

रिक्त

व्यावसायिक प्रशास

डॉ. गुलाबदास वैष्णव

बैंकिंग एवं वित्तीय प्रबन्ध

रिक्त

व्याख्याता (विज्ञान संकाय)

वनस्पति शास्त्र

श्रीमती प्रतिभा सोनी

रसायन शास्त्र

डॉ. संजय माथुर

प्राणी शास्त्र

श्री दिनेश कुमार

गणित

श्री अर्जुन राम पूनिया

डॉ. कमलदेव चौधरी

भौतिक शास्त्र

श्री भूराराम

पुस्तकालयाध्यक्ष

रिक्त

खेलकूद प्रशिक्षक

रिक्त

लेखाकार

श्री भरत कुमार आर्य

मंत्रालयिक कर्मचारी

वरिष्ठ लिपिक

कनिष्ठ लिपिक

श्री हरिसिंह

1. रिक्त

2. रिक्त

अधीनस्थ कर्मचारी

प्रयोगशाला सहायक

1. श्री जुगल किशोर दर्जी

2. कुमारी चेतना

3. श्रीमती कविता पंवार

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

1. रिक्त

2. रिक्त

3. रिक्त

प्रयोगशाला वाहक

1. रिक्त

2. रिक्त

DR. GGC BHLOPRA